(5)

~~III/निगरानी/रीवा/भू०रा०~~

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर म०प्र०

III/निगरानी/रीवा/भू-रा/2017/2357 श्रीमती वेवा मुमताज बानो पति मो० मोतीन निवासी ग्राम टिकुरा रघुनाथगंज तहसील मनगवां, जिलारीवाम०प्र०-- आवेदिका

वनाम

1 मो०सलीम तनय मो० सिद्दीकीउर्फ छेदी मंसूरी निवासी रघुनाथगंज तहसील मनगवां, जिलारीवाम०प्र०

2- फकीर मोह० तनय मो० सिद्दीकी निवासी ग्राम टिकुरा रघुनाथगंज तहसील मनगवां, जिलारीवा म०प्र०

3- भूअर्जन अधिकारी:राजस्व: मनगवां, जिलारीवाम०प्र०

----- अनावेदकगण

निगरानी विरुद्ध आदेश राजस्व निरीक्षक मण्डल मनगवां प्रकरणक्रमांक निल आदेश दिनांक 5-7-11

निगरानीअन्तर्गत धारा 50 म०प्र०भूराजस्व संहिता सन 1959ई०

मान्यवर,

निगरानी का संक्षिप्त विवरणनिम्न है:-

क - यहकि आराजी खसराक्रमांक छ691/4 कुलरकवा०-198है० खसरा क्रमांक 692 रकवा०-17० है०, मैसे अंश रकवा ०-065 है० एवम खसराक्रमांक 692 अंशरकवा०-038 है० की भूमि को फर्जी तरीके से जब अनावेदक क्रमांक 1ने अवैध रजि० चोरी छिपे तौर पर करालिया और अपने नाम पर तहसीलदार मनगवां से प्रकरण क्रमांक02ए6/10-11

(handwritten margin: श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह द्वारा आज दि० 26-7-17 को प्रस्तुत, क्लर्क ऑफ कोर्ट, राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर; वीरेन्द्र कुमार सिंह अभिभाषक)

Mumtaj Bano

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक तीन / रीवा / निगरानी / भू.रा. / 2017 / 2357

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2-8-17	आवेदक के अधिवक्ता श्री व्ही0 के0 सिंह द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक मण्डल मनगंवा के प्रकरण कमांक निल में पारित आदेश दिनांक 05.7.2011 के विरूद्व म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई, निगरानी के साथ आवेदक अधिवक्ता द्वारा धारा–5 म्याद अधिनियम का आवेदन भी प्रस्तुत किया गया है। 2– आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी 6 वर्ष के विलंब से प्रस्तुत की गई है। आवेदक द्वारा म्याद अधिनियम की धारा–5 के अन्तर्गत दिये गये आवेदन में ऐसे कोई ठोस आधार नहीं दर्शाये गये हैं जिसमें विलंब मांफ किया जा सके, समयावधि बाह्य प्रकरणों में दिन प्रतिदिन के विलंब का स्पष्ट एवं समाधानकारक कारण दर्शाया जाना चाहिये। आवेदक अधिवक्ता एवं आवेदक द्वारा विलंब के संबंध में कोई ठोस व स्पष्ट कारण नहीं दर्शा सके है। अतः निगरानी अवधि बाह्य मान्य करते हुये अग्राह की जाती है। (एस0 एस0 अली) सदस्य	